आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :कोरांव
वाद संख्या :-811/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202302030900811
जय बजरंग बली सेवा संस्थान ट्रस्ट काजीपुर नैनी प्रयागराज ट्रस्टी पवन कुमार मिश्र बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वादी के उक्त भू भाग रकबा 0.114हे0 भूमि को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80(1) के तहत और रकबा 1.027हे0 80(2)उ0प्र0रा0संहिता की धारा के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वर्णित तथ्यों तथा हल्का लेखपाल/राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार बडोखर एवं तहसीलदार कोरांव की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा बघोल परगना खैरागढ़ तहसील कोरांव जनपद प्रयागराज की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431फ0 के खाता संख्या 301 की आराजी संख्या 503 सम्पूर्ण रकबा 0.684हे0 व गाटा संख्या 503 रकबा 0.457हे0 कुल रकबा 1.1410हे0 उक्त भू भाग रकबा 0.114हे0 भूमि को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80(1) के तहत और रकबा 1.027हे0 80(2)उ0प्र0रा0संहिता की धारा के अन्तर्गत की भूमि वादी पवन कुमार मिश्र पुत्र किण्ठमनि मिश्र नि0ग्राम 82 काजीपुर नैनी ट्रस्टी बंजरग बली सेवा संस्थान ट्रस्ट काजीपुर नैनी प्रयागराज, तहसील कोरांव प्रयागराज के अंश को अकृषिक/लगान मुक्त घोषित किया जाता है। यह अमलदरामद वर्षानुवर्ष खतौनी में अंकित होती रहेगी। यह आदेश/घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की गई है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही पडेगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि कार्य/मत्स्य पालन, पशु पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य किया जाता है अथवा सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य सुरक्षा आवासिय प्रयोजन से भिन्न प्रयोग में लाया जाता है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी/शून्य हो जायेगा। धारा-82 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार कोरांव तत्काल अपनी आख्या आर0सी0 प्रपत्र 26 पर प्रस्तुत करेंगें। आदेश की एक प्रति तहसीलदार/उपनिबन्धक कोरांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(शुभम)
उप जिलाधिकारी
कोरांव प्रयागराज

पृष्ठ संख्या :